(85) (192)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0)

विलोपित/विलोपित

नरेन्द्र कुमार तनय चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा0 सा0 बनपाड़र, तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) R 5113-II/17 ....निगरानी कर्ता

बनाम

1. महेन्द्र कुमार तनय चन्द्रमणि प्रसाद
2. सच्चिदानंद मिश्र तनय रामप्रताप
3. चंद्रिका प्रसाद तनय रामप्रताप
4. निरूपमा उर्फ निर्मला पत्नी सुरेश कुमार
5. ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा तनय इन्द्रमणि प्रसाद
6. शैलेन्द्र तनय इन्द्रमणि प्रसाद
7. जीतेन्द्र तनय इन्द्रमणि प्रसाद

सभी निवासी ग्राम वनपाड़र, तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

8. अनसुइया तिवारी पुत्री प्राणनाथ ब्रा0
9. अंजनी कुमार तनय रामावतार ब्रा0

दोनों निवासी ग्राम नगई, तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

..................**गैर निगराकार गण**

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के द्वारा रा0प्र0क0 9अ–5/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के द्वारा राजस्व प्र.क. 9/अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24.12.14 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने काबिल है।

2– यह कि निगराकार क. 2 एवं 3 सच्चिदानंद एवं चंद्रिका प्रसाद के द्वारा ग्राम वनपाड़र सर्किल सीतापुर, तह0 मऊगंज, ज.नं. 668, प0ह0 वनपाड़र जिला रीवा

(85)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05113–II / 2017 जिला–रीवा

नरेन्द्र कुमार ब्रा0 / महेन्द्र कुमार वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0एन. पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त सीतापुर, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 09 / अ–5 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	